पांच माह की बच्ची से रिश्तेदार ने की दुष्कर्म की कोशिश

प्रकरण के संबंध में बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने प्रसंज्ञान लिया

पाली, (नि.सं.)। जिले के एक थाना क्षेत्र में पांच महीने की बच्ची को घर में अकेला पाकर उसके दादा की उम्र के रिश्तेदार ने रेप करने का प्रयास का मामला सामने आया है। उक्त प्रकरण को बाल संरक्षण आयोग द्वारा गंभीरता से लिया गया है।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए घटना की पूर्ण जांच कर आरोपी के खिलाफ कठोर कार्यवाही करवाकर तथ्यात्मक रिपोर्ट तीन दिवस में आयोग कार्यालय को प्रेषित करने के लिए अतिरिक्त महानिदेशक (सिविल राईट्स), पुलिस महानिरीक्षक, जोधपुर एवं पुलिस अधीक्षक, पाली को पत्र लिखा गया है। साथ ही दूरभाष पर भी पुलिस अधीक्षक, पाली को

- **आरोपी के विरुद्ध पोक्सो अंतर्गत केस दर्ज किया**

आरोपी के विरुद्ध पोक्सो अंतर्गत केस दर्ज कर प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया है। संगीता बेनीवाल ने बताया कि राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग बाल अपराधों को लेकर गंभीर है तथा बालकों के अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए आयोग प्रयासरत है।

दुष्कर्म के बाद 12 वर्षीय बालिका गर्भवती

पेट में दर्द होने की शिकायत पर लगा पता

रामसिंहपुर, (निसं)। मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। इसमें दुष्कर्म के बाद एक 12 वर्षीय बालिका गर्भवती हो गई। एसएचओ बिशनसहाय ने बताया कि जिला चिकित्सालय पर एक नाबालिग लड़की ने पेट दर्द की शिकायत की। जांच करने पर डॉक्टरों ने पाया कि बालिका गर्भवती थी। विश्वास में लेकर उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसके परिजन क्षेत्र के एक ईंट-भट्ठे पर काम करते हैं। कुछ माह पहले रात्रि जागरण के लिए एक मंडली आई थी उसमें से एक युवक ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। डर के मारे उसने अपने घर वालों को कुछ नहीं बताया। पेट दर्द होने पर उसने अस्पताल आकर दिखाया तो मामला सामने आया। एसएचओ ने बताया कि लड़की का मेडिकल करवाया गया है रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लड़की के बयान के आधार पर लड़के की पहचान कर ली गई है। संभवत वह भी नाबालिग है। मामले की जांच अनूपगढ़ के डीएसपी पुष्पेंद्र सिंह को सौंप दी गई है।

अपहरण और दुष्कर्म के आरोप में दो गिरफ्तार

श्रीगंगानगर, (निसं)। जवाहरनगर थाने की दो टीमों ने दो अलग-अलग कार्रवाई में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से दो पिस्तौल, चार कारतूस, दो चले हुए कारतूस व कार सहित 3 आरोपी गिरफ्तार किए हैं।

आरोपियों के खिलाफ दो मुकदमे दर्ज किए गए हैं। एसपी परिस देशमुख ने बताया कि जवाहरनगर थाना प्रभारी आईपीएस रमेशकुमार के निर्देश पर पुलिस टीम ने गश्त के दौरान गोपनीय सूचना के आधार पर आरोपियों को 4 जैड की रोही में पकड़ा। आरोपी जशनदीप सिंह के कब्जा से एक देशी पिस्तौल लोडेड, एक कारतूस व 2 चले हुए कारतूसों के खोल सहित पकड़ा। उसके साथ कार में सवार मानसिंह से 3 जिंदा कारतूस सहित एक कार स्विफ्ट के साथ गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे की जांच एएसआई साहबराम बाजिया को सौंपी गई है। गिरफ्तार आरोपी जशनदीप सिंह करीब 2 साल पूर्व अपने अन्य साथियों के साथ रीको श्रीगंगानगर में हुए लालचंद नाथ निवासी नेतेवाला की हत्या के मामले में करीब 6 माह तक जेल में रह चुका है। इसके अलावा आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास, मारपीट आदि के 6 मुकदमे दर्ज हैं।

आरोपी मान सिंह चोरी के मामले में वांछित चल रहा था। मामले की जांच में पता चला कि पीडित किशोरी एक हमउम्र किशोरी के साथ 8 जुलाई की शाम को बिना किसी से अनुमति लिए गायब हो गई थी। ये दोनों बस स्टैंड के आसपास कहीं जाने को भटक रहीं थी लेकिन पास में किराए के पैसे नहीं थी। उसी दौरान आरोपी यादी धोबी की इन पर नजर पड़ी। उसने दोनों किशोरियों को पुलिस से बचाने और उनके चाहे गए स्थान पर भेजने में मदद का भरोसा देकर विश्वास जीत लिया। इसके बाद वह दोनों को मोटरसाइकिल पर बैठाकर बहाने से अपने घर ले गया और फिर पीडिता से दुष्कर्म किया। पुलिस अनुसंधान में सामने आया कि पीडिता किशोरी को मुकलावा पुलिस ने करीब 8-10 दिन पहले पंजाब से बरामद किया था।

दूसरी टीम ने सूचना पर अग्रसेन चौक के पास शिव वाटिका के निकट आरोपी मनीष के कब्जा से एक देशी पिस्तौल जब्त किया है। आरोपी के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमे की जांच एसआई धर्मपाल वर्मा को सौंपी गई है। श्रीगंगानगर पुरानी आबादी थाने का हिस्ट्रीशीटर आजाद उर्फ यादी उर्फ आजादी धोबी को किशोरी से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के खिलाफ एक किशोरी ने महिला थाना में मुकदमा दर्ज करवाया था।

थानाधिकारी व हैड कांस्टेबल डेढ लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार

- **जालोर के करड़ा थाना पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत 6 जुलाई को प्रकरण दर्ज किया था**
- **अनुसंधान के दौरान हवालात में कोई मारपीट नहीं करने के एवज में रिश्वत मांगने का परिवाद एसीबी को प्राप्त हुआ था**

जालोर, (कासं)। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सिरोही की टीम ने सोमवार देर रात को ट्रेप की कार्यवाही करते हुए जालोर जिले के करड़ा थानाधिकारी अमरसिंह व एक हेड कांस्टेबल को डेढ़ लाख रुपए रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है।

सिरोही एसीबी के एएसपी ओमप्रकाश चौधरी ने बताया कि जालोर के करड़ा थाना पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत 6 जुलाई को प्रकरण दर्ज किया था। जिसमें शराब परिवहन के लिए प्रयुक्त वाहन बिना नंबरी मैक्स पिकअप के मालिक मांगीलाल विश्नोई को प्रकरण में आरोपी नहीं बनाने एवं इस प्रकरण में गिरफ्तार आरोपी दिनेश विश्नोई पुत्र आसूराम विश्नोई के साथ अनुसंधान के दौरान हवालात में कोई मारपीट नहीं करने के एवज में रिश्वत मांगने का परिवाद एसीबी को प्राप्त हुआ। इस प्रकरण में करड़ा थानाधिकारी व अनुसंधान अधिकारी अमरसिंह के कहेनुसार पहले उसके अधिनस्थ हैड कानिस्टेबल प्रतापाराम द्वारा मैक्स पिकअप गाडी मालिक मांगीलाल विश्नोई को मुलजिम नहीं बनाने की एवज में 10 जुलाई सुबह को परिवादी वलदरा (सिरोही) निवासी मनोहरसिंह चारण पुत्र खेतदान चरण से डेढ लाख रुपए रिश्वत की मांग की। उसी दौरान कुछ समय बाद इसी परिवादी से थानाधिकारी अमरसिंह स्वयं द्वारा हवालात में बंद आरोपी दिनेश विश्नोई के साथ मारपीट नहीं करने की एवज में अलग से तीस हजार रुपए की रिश्वत की मांग की, इस प्रकार दोनों आरोपितों द्वारा परिवादी से अलग-अलग कुल 1 लाख 80 हजार रुपए रिश्वत की मांग की गई। जिस पर आरोपितों के विरुद्ध इसी दिन देर शाम को ट्रेप कार्यवाही की गई।

करड़ा में ही नीलकंठ महादेव होटल के पास स्थित भाजपा कार्यालय में आरोपी हेड कांनिस्टेबल प्रतापाराम ने परिवादी से डेढ लाख रुपए प्राप्त कर थानाधिकारी द्वारा मांगे गये तीस हजार रुपए भी थानाधिकारी द्वारा उसे ही लेने का कहने पर परिवादी ने कन्फर्म कराने का कहा तो आरोपी हैड कॉनिस्टेबल ने परिवादी के सामने थानाधिकारी से वॉट्सऐप कॉल पर वार्ता की। परिवादी को भी अपने मोबाइल वॉट्सएप से वार्ता करवाई तो थानाधिकारी ने स्वयं द्वारा मांगे गए तीस हजार रुपए भी हैड कांनिस्टेबल प्रतापराम को देने के लिए परिवादी को कहा गया। जिस पर थानाधिकारी के लिए 1.50 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए हेड कांनिस्टेबल वाडा भाडवी (बागोडा) निवासी प्रतापाराम पुत्र मूलाराम को रंगे हाथों दस्तियाब किया। वहीं हेड कांनिस्टेबल को दस्तयाब करने के बाद चाणोद (तखतगढ) निवासी हाल करड़ा थानाधिकारी अमरसिंह पुत्र अचलसिंह को भी करड़ा में स्थित स्वयं के किराये के आवास से दस्तयाब किया गया। कार्यावाही दल में एसीबी ब्यूरो के निरीक्षक पदमपालसिंह भाटी, हेड कांस्टेबल मोहनराम, कांस्टेबल सोहनराम, अमरसिंह, रामकुमार सिंह, वचनाराम, रमेश, सुरेशदान, दीक्षा, गणेश आदि शामिल रहे।

इंद्रप्रस्थ गैस लि. की 13 करोड़ की बैंक गारंटी जब्त

अजमेर निगम आयुक्त ने 31 अगस्त तक शहर में खुदाई कार्य पर लगाई रोक

अजमेर, (कासं)। नगर निगम ने इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईएलजी) की बैंक गारंटी जप्त करने के लिए बैंक को पत्र जारी किया है। कंपनी ने गैस पाइन लाइन डालने के दौरान रोड-रेस्टोरेशन का कार्य संतोषजनक नहीं करने के कारण 13 करोड़ की बैंक गारंटी को कैश करने हेतु बैंक को लिखा है ताकि राशि प्राप्त होने पर नगर निगम सभी रोड को ठीक करा सके।

नगर निगम आयुक्त सुशील कुमार की पहल पर मंगलवार को सभी विभागों को एक मंच लाते हुए निगम कार्यालय में शहर की सड़कें दुरूस्त रखने के लिए बैठक की। जिसमें प्रमुख रूप से

- **अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ की बैठक**

पीडब्ल्यूडी, एडीए, एवीवीएनएल, पीएचईडी, टाटा पावर सहित अन्य विभागों के अधिकारी शामिल थे। बैठक के दौरान आयुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे 31 अगस्त रोड कटिंग का कार्य नहीं करेंगे। अत्यधिक आवश्यकता होने पर जैसे टाटा पावर व पीएचईडी को पानी की पाइप लाइन डालनी है तो पूर्व में स्वीकृति ले ली जाए।

उन्होंने सभी विभागों को निर्देशित किया है कि अपने-अपने स्तर पर 2 से 3 माह का प्लान बनाकर रखें। प्रति माह के दूसरे मंगलवार को निगम की बैठक में उस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। यदि कोई विभाग कार्य कर रहा है तो अन्य विभागों को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। निगम आयुक्त के निर्देश पर संबंधित सभी विभागों का वाट्सएप ग्रुप बनाया है। संबंधित विभाग के अधिकारी अपने-अपने विभागों में किए जाने वाले कार्यों की सूचनाओं का आदान- प्रदान करेंगे।

पुलिस इंस्पेक्टर और कॉन्स्टेबल की गोली मार हत्या करने वालों को उम्रकैद

जयपुर/सीकर, (निसं)। सीकर जिले के थाना कोतवाली फतेहपुर एसएचओ मुकेश कुमार कानूनगो और कॉन्स्टेबल रामप्रकाश की करीब पौने तीन साल पहले गोली मार कर हत्या के मामले में मंगलवार को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश फतेहपुर शेखावाटी द्वारा सात आरोपियों को दोषी मानते हुए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है। मामले की पैरवी अपर लोक अभियोजक रामचंद्र माहिचा ने की जबकि केस ऑफिसर सीओ फतेहपुर राजेश कुमार रहे।

उल्लेखनीय है कि 6 अक्टूबर 2018 की रात में एसएचओ कोतवाली फतेहपुर मुकेश कुमार कानूनगो, कॉन्स्टेबल रामप्रकाश, रमेश तथा सांवरमल हथियार समेत बदमाश अजय चौधरी और जगदीप उर्फ धनकड़ के बारे में मिली सूचना पर निजी वाहन से रवाना हुए। उदंनसर स्टैंड से करीब 2 किलोमीटर पहले एक बोलेरो को रोककर चेक करने की कोशिश की तो उसमें से अजय चौधरी, जगदीप उर्फ धनकड़, दिनेश आचार्य उर्फ लारा निवासी फतेहपुर, ओमप्रकाश उर्फ ओपी निवासी जलालसर तथा तीन-चार अन्य व्यक्ति गाड़ी से नीचे उतरे और अजय चौधरी ने इंस्पेक्टर मुकेश कानूनगो और जगदीप उर्फ धनखड़ ने रामप्रकाश कॉन्स्टेबल को गोली मार दी। बाकी बदमाशों ने पुलिस जाब्ते पर फायरिंग की।

आईजी रेंज जयपुर के निर्देश पर तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वीर सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की

दिवंगत इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की तस्वीरों पर पुष्पांजलि अर्पित की।

गई। गठित टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई कर घटना में शामिल आरोपी अजय चौधरी, दिनेश कुमार उर्फ लारा, जगदीप उर्फ धनकड़, ओम प्रकाश उर्फ ओपी, रामपाल, अनुज उर्फ छोटा पांड्या उर्फ लोढया और आमिर को गिरफ्तार किया। पुलिस टीम ने इन आरोपियों को शरण देने और भागने में मदद करने वाले आरोपित कैलाश नागौरी, बलवीर सिंह, किरण पाल उर्फ मनीष, संजय कुमार धींवा, दिनेश कुमार जाट, विजेंद्र सिंह, अमित कुमार, राजू उर्फ राजेंद्र नैण, हंसराज यादव, सुरेंद्र कुमार, कुलदीप चाहर और सुगना देवी व सुमित्रा उर्फ सुमन को गिरफ्तार कर अनुसंधान के बाद सभी 20 आरोपियों के विरुद्ध कोर्ट में चालान पेश किया। पुलिस मुख्यालय के जघन्य अपराधों में केस ऑफिसर स्कीम के तहत चयन कर त्वरित कार्रवाई के निर्देश के अंतर्गत एसपी सीकर करण शर्मा के निर्देशन, एडिशनल एसपी रामचंद्र मुंड के सुपरविजन में केस ऑफिसर और हाईकोर्ट बेंच जयपुर के निर्देश पर सीओ फतेहपुर राजेश कुमार को नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया। केस ऑफिसर द्वारा गवाहों को गवाही से पहले ब्रीफ कर अभियोजन पक्ष में कुल 121 गवाहों के बयान करवाये। अभियुक्तों द्वारा जमानत के लिए पेश की गई याचिकाओं के संबंध में राजकीय अधिवक्ता के मार्फत कोर्ट में पेश होकर जमानत याचिकाएं खारिज करवाई गई।

मंगलवार को कोर्ट द्वारा सात अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इस दौरान वृत फतेहपुर के सभी पुलिसकर्मियों सीओ राजेश कुमार के नेतृत्व में कोर्ट में मौजूद थे। फैसला

- **फैसला सुनने के बाद पुलिसकर्मी न्यायालय से मौन जुलूस के रूप में थाना कोतवाली फतेहपुर पहुंचे**

सुनने के बाद पुलिसकर्मी न्यायालय से मौन जुलूस के रूप में थाना कोतवाली फतेहपुर पहुंचे। जहां दिवंगत इंस्पेक्टर मुकेश कानूनगो और कांस्टेबल रामप्रकाश की तस्वीरों पर पुष्पांजलि अर्पित कर दो मिनट का मौन रख श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

इन्हें मिली उम्रकैद की सजा :- अजय चौधरी पुत्र रामकुमार (22) निवासी वार्ड नंबर 2 थाना कोतवाली फतेहपुर, दिनेश कुमार उर्फ लारा पुत्र ओमप्रकाश आचार्य (23) निवासी आचार्यों का मोहल्ला थाना कोतवाली फतेहपुर, जगदीप उर्फ धनकड़ पुत्र शीशपाल (24) निवासी खांजी का बास थाना सदर फतेहपुर, ओम प्रकाश उर्फ ओपी पुत्र सोहनलाल (23) निवासी जलालसर थाना सदर फतेहपुर, रामपाल पुत्र गिरधारी लाल (24) निवासी सुरजन पुरा थाना उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू, अनुज उर्फ छोटा पांड्या उर्फ लोढया पुत्र बलवंत जाट (24) निवासी भादडवास थाना मंडावा हाल थाना फतेहपुर सदर और आमिर पुत्र खान मोहम्मद (26) निवासी चूड़ीमियां थाना बारा जिला सीकर है।

सेना के जवान का निधन

धौलपुर, (निसं)। बसेड़ी कस्बा के हवेली थोक निवासी सेना के जवान उपेंद्र सिंह परमार उर्फ मोनू पुत्र गिरेन्द्र सिंह परमार का बीमारी के चलते मंगलवार को निधन हो गया। शाम करीब चार बजे जवान का पार्थिव शव तिरंगे में लिपटा हुआ आर्मी के वाहन में कस्बा बसेड़ी पहुंचा तो ग्रामीणों का हुजूम उमड़ पड़ा।

कुछ दिन की बात है हमारा राज आने वाला है : पूर्व सी.एम. राजे

करौली, (निसं)। सवाईमाधोपुर से करौली होते हुए धौलपुर जा रही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का करौली में प्रवेश करते समय और करौली सीमा से निकलने तक उनका जगह-जगह भव्य स्वागत किया गया। वहीं भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने करौली में भ्रष्टाचार चरम पर होने की शिकायत की जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री राजे ने कहा कि कुछ दिन की बात है राज हमारा आने वाला है।

पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के करौली जिले की सीमा में प्रवेश करते समय भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष भैरू सिंह जादौन के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने माला साफा पहना कर और मदन मोहन जी, कैला मैया की तस्वीर भेंट कर स्वागत किया। इससे आगे चलने पर कुड़गांव गंगापुर मोड़

- **राजे से भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने करौली में भ्रष्टाचार चरम पर होने की शिकायत की**

पर भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। करौली शहर में प्रवेश करते समय मदन मोहन स्वामी, टोनू राजोरिया सहित भाजपाइयों ने माला गुलदस्ता भेंट कर शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया।

इधर करौली के सर्किट हाउस के सामने भाजपा के शहर मंडल अध्यक्ष योगेश शर्मा उर्फ योगी के नेतृत्व में सैकड़ों भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता अशोक पाठक, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रहलाद सिंहल,जिला उपाध्यक्ष सुरेश शुक्ला, शहर मंडल महामंत्री आशीष जैन एडवोकेट, तेजेंद्र सिंह, आशुतोष, विक्की, कुलदीप सिंह धाभाई, गजेंद्र शर्मा एडवोकेट, द्वारका प्रसाद, वासुदेव गुप्ता, प्रशांत सारस्वत, गजेंद्र भारद्वाज, कसेड के पूर्व सरपंच बाबूलाल मीणा, ओमदास त्यागी, अशोक चतुर्वेदी सहित दर्जनों भाजपाइयों ने मदन मोहन जी व कैलामैया की तस्वीर, गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया उधर मासलपुर चुंगी के पास भाजपा नेता संभावित प्रत्याशी सतवीर चंदीला ने अपने कार्यालय के सामने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का गुलदस्ता भेंट कर और मॉ. कैलादेवी, मदन मोहनजी की तस्वीर भेंट कर स्वागत किया।

इस दौरान भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने करौली जिले में बढ़ते भ्रष्टाचार की शिकायत की जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा करौली वाले दूरी नहीं बनाएं और आगे राज हमारा आने वाला है सब देख लेंगे। इसके अलावा सवाई माधोपुर से धौलपुर जाते समय ग्राम अटा में पूर्व प्रधान विद्या देवी सैनी और माली समाज के जिला अध्यक्ष जमुना लाल के आवास पर पहुंची पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का करौली पंचायत समिति के पूर्व प्रधान विद्या देवी सैनी और माली समाज के जिला अध्यक्ष जमुनालाल के द्वारा पुष्पगुच्छ और शॉल पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं करौली के पूर्व विधायक सुरेश मीणा ने अपने गांव सलेमपुर में भारी संख्या में खड़े ग्रामीणो के बीच पूर्व मुख्यमंत्री का चुनरी ओढ़ाकर स्वागत किया जिस पर वसुंधरा राजे खुश नजर आईं।

तीन मंदिरों में चोरी, लोगों ने आरोपी को पकड़ा

मौजमाबाद थाने पर खड़ी ग्रामीणों भीड़।

दूदू, (निसं)। मौजमाबाद पुलिस थाना क्षेत्र के धंमाणा गांव में चोरों के गिरोह द्वारा सोमवार की रात को तीन मंदिरों में चोरी की वारदात को दिया। वारदात के दौरान जाग हो जाने पर गांववासियों ने पीछा कर एक आरोपी को व काम में ली जा रही पिकअप को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया।

ग्रामीणों के अनुसार धंमाणा में तेजाजी महाराज के मन्दिर में रखे दान पात्र को तोड़कर नकदी निकाल ली। पूर्व मौजमाबाद के बालाजी मंन्दिर दानपात्र से चोरी की गई। इसके पश्चात् धंमाणा स्थित बालाजी के यहां तिजोरी तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था इस दौरान जाग हो गई। ग्रामीणों ने पीछा कर गिरोह के एक आरोपी मुकेश जाट निवासी चकवाडा को पकड़कर काम में ली जा रही पिकअप को कब्जे में कर लिया अन्य आरोपी भाग छूटे। घटना की रिपोर्ट हनुमान प्रसाद ने थाने में दर्ज करायी। पुलिस ने आरोपी मुकेश जाट से पूछताछ की जिसमें पाया कि गिरोह में 5-7 जने हैं। धंमाणा से पूर्व मौजमाबाद में चारी की वारदात को अंजाम दिया गया था। ग्रामीणों ने पुलिस थाने पर पहुंचकर पिछले दिनों में मन्दिरों व स्कूलों में हुई चोरी की वारदातों का भी खुलाश नहीं करने पर आक्रोश जताया गया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।

सड़क मार्ग के लिए खेतों में खड़ी फसल पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर

खेतों में खड़ी फसल चलते बुलडोजर को देख किसानों ने हंगामा किया

सुजानगढ़, (निसं)। बीदासर-सुजानगढ़ निर्माणाधीन सड़क को लेकर मंगलवार को गोपालपुरा गांव में राजस्व विभाग ने खेतों में खड़ी फसल पर बुलडोजर चलाते हुए अतिक्रमण हटाया। खेतों में खड़ी फसल चलते बुलडोजर को देख किसानों ने कार्रवाई कर रही राजस्व टीम का विरोध करते हुए हंगामा किया लेकिन मौके पर मौजूद प्रशासन ने किसानों की बिना सुने ही कार्रवाई जारी रखी।

यूथ कांग्रेस अध्यक्ष आंनद पिलानियां के खेत में हुई कार्रवाई के बाद पिलानियां ने अपनी ही सरकार के अधिकारियों पर निर्दयता पूर्वक कार्रवाई करने का आरोप लगाया। पिलानियां ने कहा कि उनके खेत के पास से गांव का सबसे पुराना कटानी रास्ता जा रहा है। फिर भी प्रशासन ने रिकॉर्ड के अन्दर उनके खेत में कटाणी रास्ता बताकर खेतों में खड़ी लाखों रूपए की फसल को चौपट कर रास्ता निकाल दिया। किसान गीता देवी ने कहा कि साल में

सुजानगढ़ के गोपालपुरा गांव में प्रशासन द्वारा खेत से हटाई गयी फसल।

एक बार पैदा होने वाली फसल को अतिक्रमण की आड में खुर्द-बुर्द कर किसानों को चौपट किया गया है।

उन्होंने कार्रवाई करने वाली टीम के खिलाफ जांच कमेटी गठित करने की मांग की है। वहीं प्रशासन ने किसानों को बताया कि यह कार्रवाई नियमों व रिकॉर्ड में जा रहे कटाणी रास्तों पर ही कार्रवाई की गयी है। कार्रवाई के दौरान सदर सीआई मनोज मूण्ड, पटवारी, गिरदावर व ग्राम विकास अधिकारी मौजूद रहे। किसानों की फसल पर बुलडोजर चलने की सूचना पर किसान नेता रामनारायण रूलाणिं, एडवोकेट बनवारी बिजारणियां, तेजपाल गोदारा, रामनिवास पिलानियां सहित ग्रामीणों ने एकजुट होकर खराब की गयी फसल का मुआवजा देने की मांग की है। जानकारी के अनुसार सुजानगढ़ से बीदासर के लिए टू लेन सड़क मार्ग पीडब्लयूडी द्वारा बनाया जा रहा है। जिसको लेकर गोपालपुरा गांव से बाईपास निकालने के लिए खेतों से अतिक्रमण हटाकर घरों को तोड़ा जा रहा है। गोपालपुरा के काश्तकारों का कहना है कि राजस्व विभाग द्वारा बिना सीमाज्ञान के खेतों से अतिक्रमण हटाने

- **'जो फसल खुर्द-बुर्द की गयी थी वो गैर मुमकिन जगह पर थी जहां सडक बनना प्रस्तावित है'**

की कार्रवाई शुरू कर दी है।

प्रवीण कुमार तहसीलदार सुजानगढ़ का कहना है कि ग्राम गोपालपुरा में पीडब्यूडी विभाग द्वारा सड़क बननी प्रस्तावित था। इसके लिए विधिवत रूप से सीमाज्ञान करवाया व अतिक्रमियों को नोटिस देकर जबाव देने के लिए समय भी दिया गया था। जिसके बाद रेवन्यू टीम ने रिकॉर्ड के अनुसार कटानी मार्ग से अतिक्रमण हटाया जो फसल खुर्द-बुर्द की गयी थी वो गैर मुमकिन जगह पर थी जहां सडक बनना प्रस्तावित है।